न्यायालयः- अपर सेशन न्यायाधीश, सांगोद जिला कोटा (राज०)

पीठासीन अधिकारी	-	**विनोद कुमार बैरवा,** **डी0 जे0 केडर**
सेशन प्रकरण संख्या(Cis No)	-	42/2025
CNR No.	-	RJKT200000652025
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0	-	183/2022 पुलिसथाना सांगोद
अपराध अंतर्गत धारा	-	**323, 324, 307 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0**
राजस्थान राज्य -	बनाम -	हैप्पी वगैरह

निर्णय दिनांक 23.07.2026

परिवादी	चेतन पुत्र रामेश्वर
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व पता	01-हैप्पी उर्फ खुशाल सेन पुत्र रामेश्वर उर्फ पप्पू, 02-गोलू पंकज पुत्र राधेश्याम, निवासीगण-बपावर रोड सांगोद, थाना सांगोद जिला कोटा ग्रामीण
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री दीपक कुमार शर्मा
अधिवक्ता परिवादी	....

1. इस मामले में पुलिस थाना सांगोद जिला कोटा ग्रामीण की ओर से अभियुक्तगण हैप्पी उर्फ खुशाल सेन व गोलू पंकज के विरूद्ध धारा 323, 324, 307, 34 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिये आरोप-पत्र योग्य अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से यह प्रकरण कमिट होकर श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कोटा के यहां पेश हुआ एवं कालान्तर यह प्रकरण विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

"Authenticated Document"

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी चेतन ने दिनांक 18.06.2022 को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 18.06.2022 को करीब 9.30 पीएम को वह अपने कमरे पर लेटा हुआ था और अपनी पत्नी से मोबाईल पर बातें कर रहा था, तभी किसी ने उसका दरवाजा बजाया। वह गेट खोलने गया तो उसके मैन गेट के बाहर की कुंदी लगा दी। जब वह दूसरे गेट से बाहर निकला तो गेट पर हैप्पी सेन व उसके साथी ने उसके ऊपर चाकू और कडे से अचानक हमला कर दिया और जान से मारने की कोशिश की। हमले के दौरान उसके पेट पर चाकू से हमला किया और सिर पर कडे की चोटें मारी। उसने बचाव में कडा व चाकू छीन लिये और चिल्लाने लगा तो उसके आसपास के पडौसी आये तो वह वहां से उनको देखकर भाग गये। उन व्यक्तियों ने उस पर जान से मारने की नियत से हमला किया। उसे हरिओम नागर व दीनू नागर अस्पताल लेकर आये जिन्होंने यह घटना देखी है.......इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांगोद, जिला कोटा ग्रामीण पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-183/2022, अपराध अंतर्गत धारा 323, 307, 34 भा०दं०सं० में दर्ज की गई एवं बाद अनुसंधान प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 307, 34 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए आरोप-पत्र उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. तदुपरांत न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी गयी। बहस आरोप सुने जाने के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 307 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. **अभियोजन गवाहान-**

गवाह	**गवाह का नाम**	**गवाही का विवरण**
पी0 डब्ल्यू01	चेतन वैष्णव	ताईद एफआईआर, फर्द नकशामौका, बयान 164 दं0 प्र 0 सं0, चश्मदीद वाका, खूनआलूदा टीशर्ट पेश करना

पी0 डब्ल्यू02	विरेन्द्र सिंह	ताईद फर्द बरामदगी एक कडा व एक चाकू
पी0 डब्ल्यू03	रामेश्वर वैष्णव	ताईद फर्द जब्ती खूनआलूदा टीशर्ट
पी0 डब्ल्यू04	हरिओम नागर	ताईद फर्द नक्शामौका घटनास्थल, फर्द जब्ती खूनआलूदा टीशर्ट
पी0 डब्ल्यू05	देवेन्द्र नागर	ताईद बयान 161 दं0 प्र 0 सं0
पी0 डब्ल्यू06	गोविन्द्र कुमार मीणा	ताईद फर्द नक्शामौका घटनास्थल
पी0 डब्ल्यू07	भूपेन्द्र कुमार	ताईद फर्द बरामदगी व जब्ती एक कडा व एक चाकू
पी0 डब्ल्यू08	डॉ0 रामचन्द्र पारेता	ताईद मजरूब की एमएलसी करना व ओपिनियन देना
पी0 डब्ल्यू09	हेमराज	ताईद माल जमा करना व एफएसएल में जमा करवाना

6. प्रलेखीय साक्ष्य अभियोजन

प्रदर्श संख्या	**दस्तावेज का विवरण**
प्रदर्श पी-1	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी-2	फर्द नक्शामौका घटनास्थल
प्रदर्श पी-3	फर्द जब्ती खूनआलूदा टीशर्ट
प्रदर्श पी-4	बयान 164 दं0 प्र 0 सं0 चेतन
प्रदर्श पी-5	बयान 161 दं0 प्र 0 सं0 चेतन
प्रदर्श पी-6 व 7	फर्द जब्ती एक कडा व नक्शा बरामदगीस्थल
प्रदर्श पी-8 व 9	फर्द जब्ती एक चाकू व नक्शा बरामदगीस्थल
प्रदर्श पी-10	बयान 161 दं0 प्र 0 सं0 गोविन्द्र मीणा
प्रदर्श पी-10	चोट प्रतिवेदन चेतन

7. आर्टिकल/मालखाना -

आर्टिकल/मालखाना संख्या	आर्टिकल/मालखाना का विवरण
निल	निल

8. साक्ष्य प्रतिरक्षा -

गवाह	**गवाह का नाम**
निल	निल

9. प्रलेखीय साक्ष्य प्रतिरक्षा

प्रदर्श संख्या	**दस्तावेज का विवरण**
निल	निल

10. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण को धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया गया।

11. तत्पश्चात् बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का परिशीलन कर सुसंगत विधि पर मनन किया गया। दौराने बहस अंतिम विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक-दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होना जाहिर किया।

12. इसके विरूद्ध बचाव पक्ष ने बहस करते हुए अभियोजन की कहानी में कई गंभीर संदेह होने का कथन किया तथा तर्क दिया कि अभियुक्तगण को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण व परिवादी/आहत ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

13. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं बहस अंतिम में उभय पक्षों द्वारा उठाए गए तर्को के संदर्भ में पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन कर सुसंगत विधि पर मनन किया गया।

"Authenticated Document"

14. **हस्तगत प्रकरण में वर्तमान में न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त विचारणीय प्रश्न यह है कि-**

01- क्या दिनांक 18.06.2022 को समय 9.30 पीएम या उसके लगभग सांगोद में स्थित गुरूदत्त के मकान में अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब चेतन के साथ धारदार व कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उसके शरीर पर साधारण चोट कारित की ?

02- क्या अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब चेतन की हत्या कारित करने के आशय से उसके शरीर पर धारदार हथियार चाकू से वार कर उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया ?

03- यदि हॉं, तो अभियुक्तगण को किस दंड से दंडित किया जाए?

15. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का अवलोकन किये जाने पर दर्शित हैं कि **साक्षी पी0 डब्ल्यू-3 रामेश्वर वैष्णव** ने अपने समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी 3 खून आलूदा टीशर्ट बरामद करना व उस पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना प्रकट किया है, परन्तु घटना अपने समक्ष घटित हुई हो, इस बारे में इन्कार किया है।

16. इसी प्रकार **साक्षी पी0 डब्ल्यू-4 हरिओम नागर** ने अभियुक्त हैप्पी के द्वारा आहत चेतन के चाकू से मारने वाली बात आहत चेतन के द्वारा अपने को बताया जाना प्रकट किया है, परन्तु स्वयं आहत चेतन ने इस गवाह के कथनों की ताईद नहीं की है। ऐसी स्थिति में इस गवाह के कथन विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं।

17. इसी प्रकार **साक्षी पी0 डब्ल्यू-2 वीरेंद्र सिंह** ने मुलजिम गोलू पंकज की निशादेही से उसके मकान की आलमारी से एक गोल कडा स्टीलनुमा जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 बरामद करना व बरामदगीस्थल का नक्शा प्रदर्श पी 7 होना व इसी प्रकार मुलजिम हैप्पी उर्फ खुशाल की निशादेही से उसकी किराने की दुकान से एक

लोहे का चाकू जरिये फर्द प्रदर्श पी 8 बरामद करना और बरामदगीस्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 9 होना प्रकट किया है। इसी प्रकार **साक्षी पी0 डब्ल्यू-7 भूपेंद्र कुमार** ने भी मुलजिम गोलू पंकज की निशादेही से उसके मकान की आलमारी से एक गोल कडा स्टीलनुमा जरिये फर्द प्रदर्श पी 6 बरामद करना व बरामदगीस्थल का नक्शा प्रदर्श पी 7 होना व इसी प्रकार मुलजिम हैप्पी उर्फ खुशाल की निशादेही से उसकी किराने की दुकान से एक लोहे का चाकू जरिये फर्द प्रदर्श पी 8 बरामद करना और बरामदगीस्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 9 होना प्रकट किया है।

18. इसी प्रकार **साक्षी पी0 डब्ल्यू-8 रामचंद्र पारेता** ने दिनांक 18.06.2022 को सांगोद सीएचसी पर चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए पुलिस थाना सांगोद की तहरीर पर मजरूब चेतन के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना करने तथा उसके शरीर पर कुल 06 चोटें होना तथा चोट सं01 धारदार हथियार से कारित होना प्रकट करते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर और जी से एच अपनी राय होना प्रकट किया है और ए से बी मजरूबा का पहचान चिन्ह और सी से डी मजरूब के हस्ताक्षर होना प्रकट किया है।

19. इसी प्रकार **साक्षी पी0 डब्ल्यू09 हेमराज** ने आहत चेतन की खूनआलूदा टीशर्ट एसआई अभय सिंह के द्वारा उसे सुपुर्द करने पर खूनआलूदा टीशर्ट को जमा मालखाना करना प्रकट किया है तथा दिनांक 01.07.2022 को उक्त टीशर्ट एफएसएल परीक्षण हेतु कानि0 दीपक कुमार को देना और जिसके द्वारा एफएसएल में जमा कर रसीद लाकर पेश करना और उसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में करना प्रकट किया है।

20. परन्तु घटना का आहत **पी0 डब्ल्यू01 चेतन वैष्णव** पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर चाकू से हमला करना कथन किया है और घटना कारित करने वाले व्यक्ति को जानने व पहचानने से इन्कार किया है और अपने पुलिस बयान होने की जानकारी से भी इन्कार किया है। साथ ही तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 किसकी कलमी है, इस बारे में जानकारी होने से इन्कार करते हुए तहरीरी रिपोर्ट का मुख्य व तात्विक भाग सी से डी अपने द्वारा पढकर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। साथ ही अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी-4 का मुख्य व तात्विक

भाग ए से बी जिसमें घटना का सम्पूर्ण वृत्तान्त अंकित है, अपने द्वारा लिखाये जाने से इन्कार किया है। इसी प्रकार अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 का मुख्य व तात्विक भाग ए से बी जिसमें घटना का सम्पूर्ण वृत्तान्त अंकित किया हुआ है, अपने द्वारा लिखाये जाने से इन्कार किया है। इस प्रकार इस गवाह ने अभियुक्तगण के द्वारा प्राणघातक हमला करने बाबत् कोई स्पष्ट कथन नहीं किए हैं और अभियोजन की कहानी व अपनी ओर से दर्ज रिपोर्ट व बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 का कोई समर्थन नहीं किया है।

21. इसी प्रकार **साक्षी पी0डब्ल्यू-5 देवेन्द्र नागर** ने भी घटना की ताईद नहीं की है और घटना के बारे में एक्सीडेंट होने की सूचना मिलना प्रकट किया है और वहां पर भी झगडे बाबत् कोई जानकारी नहीं होना प्रकट किया है और अपने पुलिस बयान पुलिस को देने से इन्कार करते हुए अपने समक्ष नक्शामौका बनाये जाने से इन्कार किया है। इसी प्रकार **साक्षी पी0डब्ल्यू-6 गोविंद कुमार मीणा** ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और हरिओम नागर द्वारा फोन पर दुर्घटना होने की सूचना देना और बुलाना प्रकट करते हुए अपने वहां पर पहुंचने पर जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई थी उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाना प्रकट किया है और आहत चेतन वैष्णव के द्वारा घटना की कोई जानकारी देने से इन्कार किया है और अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी-10 का मुख्य व तात्विक भाग जिसमें आरोपित घटनाक्रम का सम्पूर्ण वृत्तान्त अंकित है, ई से एफ भाग सही नहीं होना प्रकट किया है।

22. ऐसी स्थिति में चूॅकि घटना का परिवादी व आहत पी0डब्ल्यू01 चेतन वैष्णव पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है और अभियुक्तगण के द्वारा धारदार हथियार और कुन्द हथियार से मारपीट कर प्राणघातक चोटें कारित करने बाबत् कोई कथन नहीं किए हैं। इसी प्रकार पी0डब्ल्यू05 देवेन्द्र नागर और पी0डब्ल्यू06 गोविन्द कुमार मीणा भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने भी आरोपित घटना के बारे में कोई कथन नहीं किए हैं और हरिओम नागर के द्वारा दुर्घटना होने की जानकारी देना प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में हमारी विनम्र राय में अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को न्यायालय के संतोषप्रद व सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल् रहा है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 307 सपठित

धारा 34 भा0 दं0 सं0 में साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य हैं।

आदेश

23. परिणामतः अभियुक्तगण **(1)**-हैप्पी उर्फ खुशाल सेन पुत्र रामेश्वर उर्फ पप्पू, **(2)**-गोलू पंकज पुत्र राधेश्याम, निवासीगण-बपावर रोड सांगोद, थाना सांगोद, जिला कोटा ग्रामीण (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 307 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 में साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

24. प्रकरण में जब्तशुदा हथियार कडा, चाकू आदि बाद गुजरने मियाद अपील नियामानुसार नष्ट किए जावें।

25. चूँकि प्रकरण में परिवादी एवं आहत स्वयं पक्षद्रोही घोषित हुआ है। ऐसी स्थिति में आहत को किसी प्रकार के प्रतिकर की अनुशंषा किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। अतः आहत को प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।

(विनोद कुमार बैरवा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सांगोद, जिला कोटा (राज०)

26. निर्णय आज दिनांक 23.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(विनोद कुमार बैरवा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
सांगोद, जिला कोटा (राज०)

TRILOK CHAND MANTRI
Digitally signed by TRILOK CHAND MANTRI
Date: 2026.07.24 15:13:13 +0530
"Authenticated Document"